न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 28/08 राजस्व विविध

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (रा) लूणकरणसर

–प्रार्थी

: ब ना म :

1. हंसराज पुत्र लाधुराम दमामी साकिन पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र तोलाराम अग्रवाल वार्ड नं.17 हनुमानगढ टाउन
3. शंकरलाल पुत्र नरेश कुमार अग्रवाल सा. हनुमानगढ़ टाउन
4. पवन कुमार पुत्र श्यामलाल अग्रवाल वार्ड नं0 17, हनुमानगढ़ टाउन
5. अभिषेक पुत्र मुरारीलाल सर्राफ वार्ड नं. 16 हनुमानगढ़ टाउन
6. हंसराज पुत्र खेमचंद ओसवाल वार्ड नं. 16 हनुमानगढ़ टाउन
7. सुनील कुमार पुत्र पवनकुमार वार्ड नं. 16 हनुमानगढ़ टाउन

–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970

उपस्थितिः–

1. स्टेट की तरफ से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से श्री बच्छराज कोठारी अधिवक्ता।

: आ दे श :

<u>दिनांक 06.01.20</u>

1. प्रार्थना पत्र संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी हंसराज पुत्र लाधु खां दमामी सा. पीलीबंगा द्वारा अपनी वास्तविक पहचान व रिहायश छिपाकर कपटपूर्वक ढ़ंग से ग्राम बालादेसर के खसरा नं. 11/4 में 72 बीघा का आवंटन अपने नाम से करवाया है। आवंटी ने कभी आवंटित भूमि काश्त नही की ना ही वह भूमि पर काबिज है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन खारिज फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 को निरंतर कई बार रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाने के बावजूद अपूर्ण पता होने का नोट अंकित करते हुए लौटकर आये है। शेष अप्रार्थीगण की ओर से श्री बच्छराज कोठारी ने वकालतनामा पेश किया।

जिला कलक्टर, बीकानेर

3. बहस हेतु निर्धारित तिथि को अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नही होने पर स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की ईकतरफा बहस सुनी गयी। विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ग्राम बालादेसर का निवासी नहीं है। आवंटन अधिकारी के समक्ष अपनी वास्तविक पहचान व रिहायश छिपाकर कपटपूर्वक ढंग से ग्राम बालादेसर के खसरा नं. 11/4 में 72 बीघा भूमि क़ा आवंटन अपने नाम से करवाया हैं। अप्रार्थी ने पूर्व में धारित भूमि के तथ्य को भी छिपाया है। आवंटित रकबे को आवंटी द्वारा कभी भी काश्त नहीं किया गया तथा आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया गया। मौके पर आवंटी काबिज नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 के नोटिस इसी कारण लौटकर आ रहे है, की उसका पता सही नहीं है। अप्रार्थी सं.1 ने तथ्यो व अपनी वास्तविक पहचान छिपाते हुए आवंटन करवाया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार आवंटन खारिज किया जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया। क प्रार्थी स्टेट की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में ना तो आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की और ना ही ऐसा प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसके आधार पर यह माना जावे कि आवंटी द्वारा तथ्य छुपाकर कपटपूर्वक ढंग से शर्तो का उल्लंघन करते हुए आवंटन करवाया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रमाणित दस्तावेजातव आवंटी श्री हंसराज पुत्र लाधु खां दमामी के सही रहवास आदि तथ्यो के साथ पुनः प्रस्तुत करवाया जाना हम न्यायोचित पाते है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार लूणकरणसर को निर्देश दिये जाते है कि वे संपूर्ण तथ्यो का समावेश करते हुए विधिक प्रावधानो के परिपेक्ष्य में प्रमाणित दस्तावेजात व आवंटी के सही पत्ते का उल्लेख करते हुए एक माह में पुनः प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे।

6. आदेश आज दिनांक **06.01.20** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलेक्टर, बीकानेर